

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री बसंती कुमारी पति - दीपक कुमार साहू, ग्राम: कुमारंगकला, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 52, (रैयतीभूमि) ग्राम: कुमारंगकला खाता सं.-5; के अधीन प्लॉट सं.- 463, खाता सं.-68; के अधीन प्लॉट सं.- 513, खाता सं.-32; के अधीन प्लॉट सं.- 325, 450, खाता सं.- 111; के अधीन प्लॉट सं.- 464, खाता सं.-112; के अधीन प्लॉट सं.- 291, खाता सं.-58; के अधीन प्लॉट सं.- 578, खाता सं.-59; के अधीन प्लॉट सं.- 585, खाता सं.-29; के अधीन प्लॉट सं.- 81, खाता सं.-3; के अधीन प्लॉट सं.- 341, 457, 472, 218; क्रमशः कुल रकबा: -2.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगारप्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्रपालि-चंद्रगुप्त), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

बिनाद
30/0-ए/2023

विश्व कृष्ण
30/0-ए/2023